न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2142—एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 20—09—2010 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर सिंगरौली द्वारा प्रकरण कमांक 195/निग0/2009—10

1— भुआल तनय अत्रीलाल कलार
2— जगदीश तनय मुआल कलार
निवासीगण—ग्राम हरैया, तहसील व जिला—सिंगरौली (म0प्र0)

.... आवेदकगण

विरूद्ध

मोहन पिता दादू बसीर
निवासी—ग्राम हरैया, तहसील व जिला—सिंगरौली (म0प्र0)

...................अनावेदक

....

श्री रामाश्रय शुक्ला, अभिभाषक, आवेदकगण

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक २५ जून 2015 को पारित)

यह निगरानी, आवेदकगण द्वारा भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर सिंगरौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 20—09—2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम हरैया तह0 व जिला सिंगरौली स्थित विवादित भूमि आराजी पुराना नं0 67 का जुजरकबा 5.00ए0 जिसका नया सर्वे नम्बर 42 रकबा 2.17 है0 का व्यवस्थापन नायब तहसीलदार के प्रकरण क्र0

43/अ–19/4/1981–82 दिनांक 15.10.81 के द्वारा किया गया। जिसे कलेक्टर द्वारा स्वयमेव निगरानी में लिया जाकर प्रकरण क्र0 404/निगरानी/83–84 में पारित आदेश दिनांक 13.03.85 को पुनः गुणदोष के आधार पर प्रत्यावर्तित किया गया। प्रत्यावर्तन आदेश के क्रम में नायब तहसीलदार सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 786/अ–74/07–08 के द्वारा आवेदित भूमि नं0 342 के अंश रकबा 189 है0 को आवेदकगण के नाम इत्तलायवी अंकित किये जाने का आदेश दिया। इसी आदेश से दुखित होकर अनावेदक मोहनलाल पिता दादू बसोर साकित हरैया द्वारा निगरानी अपर कलेक्टर सिंगरोली जिला सिंगरौली न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर सिंगरौली ने आदेश दिनांक 20–9–10 के द्वारा तहसीलदार का आदेश दिनांक 30.11.07 को निगरानी निरस्त कर सर्वे क्रमांक 342 रकबा 2.17 है0 के साथ ही सर्वे क्रमांक 236 को भी म0प्र0 शासन दर्ज किये जाने का आदेश दिया। आवेदकगण द्वारा उक्त आदेश से व्यथित होकर कलेक्टर के समक्ष पुर्नविलोकन का आवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर सिंगरौली ने आदेश दिनांक 28–5–12 द्वारा आ0नं0 342 रकबा 2.17 हे0 के साथ–साथ आ0नं0 236 रकबा 1.10 हे0 को भी शासन म0प्र0 दर्ज किये जाने का पूर्व आदेश बहाल रखा गया। कलेक्टर के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक की ओर से लिखित तर्क प्रस्तुत कर बताया गया कि प्रकरण में जब विवादित भूमि पुराना नं0 67 का जुज रकबा 5.00 ए0 जिसका नया सर्व नं0 342 रकबा 2.17 हे0 का व्यवस्थापन नायब तहसीलदार के प्रकरण क्र0 43/अ–19/4/81–82 दिनांक 15.10.81 द्वारा आवेदक जगदीश कलार के नाम स्वीकृत है जिसे कलेक्टर द्वारा निगरानी प्रकरण क्र0 404/निगरानी/83–84 में पारित आदेश दिनांक 13.03.85 के द्वारा प्रकरण को पुनः विचारण न्यायालय के समक्ष गुण–दोष पर न्यायिक निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया गया व नायब तहसीलदार द्वारा अपने राजस्व प्रकरण क्र0 787/अ–74/2007–08 आदेश दिनांक 30.11.2007

के तहत उपरोक्त भूमि की इत्तलावी आवेदक के नाम दर्ज करने बावत हल्का पटवारी को आदेशित किया, उसी बीच अनावेदक द्वारा उक्त आदेश से व्यथित होकर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत कि जो निगरानी प्रकरण क्र0 195/निगरानी/09–10 के रूप में पंजीबद्ध की गई आदेश दिनांक 20.09.10 को पारित किया गया जिसमें आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 342 रकबा 2.17 के अतिरिक्त खसरा नम्बर 236 को भी शासकीय दर्ज करने का आदेश दे दिया। जो विधि के प्रावधान के विपरीत होने से निरस्तनीय है। तत्पश्चात आवेदकगण द्वारा भूमि नं0 342 रकबा 2.17 हे0 के बारे में ही पुनर्विलोकन का आवेदन दिया था, परन्तु कलेक्टर द्वारा आ0नं0 236 को भी शासन म0प्र0 घोषित करने का आदेश दिया। विवादित भूमि आवेदकगण की पुस्तैनी भूमि है, तथा सर्वे बन्दोबस्त से लगातार नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित चला आ रहा है, तथ उक्त भूमि का व्यवस्थापन का आवेदन पत्र आवेदक क्र0 2 द्वारा दिया गया जिसे विचारण न्यायालय द्वारा गुण–दोष कि आधार पर उनके नाम व्यवस्थापन किया गया व राजस्व प्रलेखों में नाम भी अंकित किया गया, जिसे अनावेदक द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने पर कलेक्टर ने अपने ही आदेश को अपास्त कर दिया। अंत में आवेदकगण के अधिवक्ता ने निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया है।

4/ अनावेदक के अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक ने अतिरिक्त तहसीलदार के आदेश दिनांक 30–11–07 के विरूद्ध जिसमें तहसीलदार ने उक्त आदेश में सर्वे नम्बर 342 रकबा 2.17 है0 भूमि आवेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व में दे दी गई थी, कलेक्टर न्ययालय में निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें यह भी बताया कि सर्वे कमांक 236 की भूमि

अनावेदक की भूमि अनावेदक के कब्जे की थी जिसके आवेदक ने जगदीश प्राद के नाम पर दर्ज करा दियां जबकि उस पर अनावेदक का कब्जा है। अतः सर्वे क्रमांक 236 को शासकीय दर्ज कर दिया जाए। कलेक्टर ने निगरानी प्रकरण में आदेश दिनांक 29–9–10 के द्वारा नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–11–07 निरस्त करते हुये दोनों भूमियों पर आवेदकगणों का स्वत्व प्रमाणित नहीं मानते हुए म0प्र0 शासन दर्ज करने का आदेश दिया। पुनर्विलोकन आदेश दिनांक 28–5–12 में भी कलेक्टर ने यही आदेश बहाल रखा। यद्यपि कलेक्टर न्यायालय ने निगरानी प्रकरण के आदेश दिनांक 20–9–10 में सर्वे क्रमांक 236 को शासकीय दर्ज करने का आदेश आवेदक की अनुपस्थिति में केवल अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन तथा अभिलेखों के आधार पर किया गया था, परन्तु इसी निगरानी आदेश के पुनर्विलोकन में कलेक्टर ने उभयपक्ष को सुना तथा अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात यह पाया कि आवेदक यह प्रमाणित नहीं कर पाया कि खसरा क्रमांक 236 रकबा 1.10 है0 का भूमिस्वामित्व उन्हें विधिकसम्यक अनुरूप में प्राप्त हुई थी। अतः पुनर्विलोकन के आदेश में निगरानी आदेश में कोई परिवर्तन नहीं किया।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर चूंकि कलेक्टर ने पुनर्विलोकन प्रकरण के आदेश के पूर्व आवेदक अनावेदक दोनों को सुना गया तथा अभिलेखों के आधार पर सर्वे क्रमांक 236 तथा 342 को शासकीय दर्ज करने का आदेश दिया अतः इस निगरानी को स्वीकार करने का कोई आधार नहीं होने के कारण निगरानी निरस्त की जाती है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर